

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 37 / 2024 बउनवानी प्रेमचन्द गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं अति० जिला कलेक्टर,स०मा० पुत्र श्री शिवलाल गुर्जर निवासी ग्राम टोटोलाई पोस्ट बूचालाई तह० तलावडा

GCMS No-2024/87

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

23.8.2024

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 18.6.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-


1. ग्राम टोटोलाई के साबिक खसरा नम्बर 13,14,15,17,18,19,24,26,28 उक्त सभी ख०न० नम्बरों का तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल की व उक्त सभी खसरा नम्बरों का मानचित्र की प्र. प्रति देवे
2. सम्पूर्ण ग्राम टोटोलाई का ट्रेसिंग क्लॉथ पर बने हुए पुराना व नया दोनो मानचित्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
3. सम्पूर्ण ग्राम टोटोलाई का सम्वत् 2016 का पुराना व नया दोनो मानचित्रों की प्र० प्रति देवे।
4. ग्राम टोटोलाई का सम्वत् 246,336,335,355,222,223, उक्त सभी हाल ख०न० को जिन पूर्व साबिक ख०न० को विभाजित कर उक्त सभी हाल ख०न० 246,336,335, 355,222,223 बनाये गये उक्त सभी का तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल की प्र० प्रति० उपलब्ध करवायी जावे।
5. ग्राम टोटोलाई में नामा० संख्या 300 दिनांक 20.12.2001 के आगे-पीछे के पृष्ठ की प्र. प्रति।
6. ग्राम टोटोलाई के आवंटन आदेश संख्या 219 दिनांक 5.10.1998 श्री नरसी पुत्र बृजमोहन गुर्जर के नाम के आवंटन आदेश, कब्जा ट्रेस, कब्जा रिपोर्ट की प्र० प्रति० उपलब्ध करावे।
7. ग्राम टोटोलाई में हाल ख०न० 263,336,355 का तरमीम शुद्धा मानचित्र की प्रमाणित प्रति।
8. सम्पूर्ण ग्राम टोटोलाई का सम्वत् 2019 एकीकरण मानचित्र की प्र० प्रति उपलब्ध करवायी जावे
9. ग्राम टोटोलाई के साबिक ख०न० 28 से बनाये गये नवीन ख०न० की सम्वत् 2032-25 की जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।



नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.13(1)(58)/सूकाअ/2024/856 दिनांक 22.8.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्त द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 18.6.2024 के बिन्दु संख्या 1 से 9 में चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलान्त को प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग के पत्रांक प.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./रि./2024/दिनांक 2277 दिनांक 25.7.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि बिन्दु संख्या 1 में चाहा गया मिलान क्षेत्रफल नहीं है शेष सूचना के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें बिन्दु संख्या 2,3 में चाहे गये नये नक्शे पटवारी हल्का से प्राप्त करें तथा बिन्दु संख्या 2,3,8 में चाहे गये पुराने नक्शों एवं बिन्दु संख्या 5 की सूचना के लिए नियमानुसार जिला अभिलेखागार में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए तथा बिन्दु संख्या 4,6,7,9 में चाहा गया रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलान्त को दिया जाना सम्भव नहीं होने के संबंध में अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.6.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4,7,9 में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला अभिलेखागार (भू0अ0) में उपलब्ध नहीं होने के संबंध में तथा बिन्दु संख्या 6 की सूचना का संबंध जिला अभिलेखागार भू0अ0 से नहीं होने के कारण अपीलान्त को उक्त बिन्दु संख्या 6 की सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है तथा बिन्दु संख्या 1,2,3,5,8 की सूचना के लिए प्र0अ0 भू0अभिलेख को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 787 दिनांक 25.7.2024 से अपीलान्त को लिखा जा चुका है। अतः अपीलान्त को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1,2,3,5,8 की सूचना नियमानुसार नकल के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

  
(डॉ०खुशाल यादव)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर